"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2013—पौष 6, शक 1935

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

आदेश

क्रमांक 11735/3934/21-ब/छ. ग./2013.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1-क के अनुच्छेद 17-क के अधीन, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (क्रमांक 25 सन् 1961) की धारा 22 के अधीन छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी लिखत "अभ्यावेशन प्रमाण पत्र" के विषय में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 1 नवम्बर, 2000 से छूट प्रदान करती है.

No. 11735/3934/21-B/C. G./2013. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), State Government, hereby, remits the Stamp duty chargeable under Artical 17-A of Schedule I A of the said Act in respect of instrument "Certificate of Enrollment" issued by the State Bar Council of Chhattisgarh under Section 22 of the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961) with effect from 1st November, 2000.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.